भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3141

18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी आवास और शहरी अवसंरचना विकास से संबंधित आंकड़े

†3141. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), किफायती किराया आवासीय परिसर (ए. आर.एच.सी.) और शहरी अवसंरचना विकास कोष जैसी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और कम आय समूह (एलआईजी) वाले परिवारों के पास शहरी आवास की कमी पर राज्य-वार आंकड़े संकलित किए गए हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओडिशा सरकार ने तेजी से शहरीकृत हो रहे शहरों, जिनमें झुग्गी-झोपड़ियों की अधिक संख्या वाले शहर भी शामिल हैं, में आवास की कमी को दूर करने के लिए केंद्र से सहायता मांगने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमएवाई-यू या ए.आर.एच.सी. के अंतर्गत ओडिशा से किसी किफायती आवास, किराये के आवास या शहरी अवसंरचना परियोजना वित्तपोषण सहायता के लिए स्वीकृत की गई है या विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत इकाइयों, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हिस्से और परियोजना को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्लमवासियों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू योजना के कार्यान्वयन की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी- आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं जिनका भारत सरकार द्वारा निश्चित कोई आवास लक्ष्य नहीं है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) लाभार्थियों की पहचान करने, परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादन करने और पूर्ण हो चुके आवासों को आबंटित करने के लिए जिम्मेदार हैं। नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहां राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) पात्रता मानदंडों के आधार पर कई स्तरों पर आवेदनों को सत्यापित करते हैं। मांग मूल्यांकन और लाभार्थी सत्यापन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिन्हें राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और फिर केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इस योजना के दिशा-निर्देशों और एकीकृत वेब पोर्टल पर **https://pmay-urban.gov.in** देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से संबंधित लाभार्थियों के लिए कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 113.85 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 24.11.2025 तक देश भर में 96.02 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/ सौंपा जा चुका है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभार्थियों को स्वीकृत और पूर्ण/ सौंपे गए आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 20,574 आवासों सहित कुल 2.24 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1.86 लाख से अधिक आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 1.68 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है, जिसमें स्लमवासी भी शामिल हैं। एआरएचसी के अंतर्गत ओडिशा राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत ओडिशा राज्य में इसकी शुरूआत के बाद से स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों और जारी केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभार्थियों को स्वीकृत और पूर्ण/सौंपे गए आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवास			पूर्ण आवास*		
			2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	1,92,669	50,144	31,252	2,86,987	2,18,500	96,415
2		बिहार	2,206	12,993	1,00,014	21,711	11,226	60,867
3		छत्तीसगढ	36,936	3,515	-	35,926	43,389	34,726
4		गोवा	330	-	-	331	-	1
5		गुजरात	1,42,005	11,496	-	1,99,047	28,954	39,297
6		हरियाणा	5,142	-	15,256	13,508	3,712	2,937
7		हिमाचल प्रदेश	1,117	355	-	2,155	1,003	1,075
8		झारखंड	6,625	-	-	15,774	17,136	17,644
9		कर्नाटक	13,509	15,391	-	43,045	30,793	52,466
10		केरल	13,877	7,752	-	14,823	7,350	12,693
11		मध्य प्रदेश	66,380	9,502	-	1,75,209	1,11,350	88,221
12		महाराष्ट्र	1,20,775	27,114	-	1,81,361	38,183	1,31,602
13		ओडिशा	1,325	18,769	5,304	27,734	12,785	18,989
14		पंजाब	24,284	-	-	23,124	8,926	15,272
15		राजस्थान	86,107	35,325	23,799	35,518	10,253	42,698
16		तमिलनाडु	31,713	10,178	-	84,296	40,322	42,856
17		तेलंगाना	7,751	-	1,13,681	14,375	1,541	289
18		उत्तर प्रदेश	1,25,420	1,56,763	55,625	2,06,465	1,99,690	2,32,576
19		उत्तराखंड	11,681	2,941	-	4,329	4,679	6,629
20		पश्चिम बंगाल	12,264	-	-	81,647	50,364	64,801
उप-कुल (राज्य)			**9,02,116**	**3,62,238**	**3,44,931**	**14,67,365**	**8,40,156**	**9,62,054**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8	-	5,278	3,193	1,498	641
22		असम	9,526	13,542	-	36,483	19,542	24,134
23		मणिपुर	21	-	-	5,690	2,934	3,085
24		मेघालय	4	-	-	430	144	678
25		मिजोरम	270	-	-	1,518	1,927	16,571
26		नागालैंड	1	-	-	6,427	7,344	9,207
27		सिक्किम	26	-	-	26	-	-
28		त्रिपुरा	4,444	4,790	-	7,369	8,619	5,541
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य)			**14,300**	**18,332**	**5,278**	**61,136**	**42,008**	**59,857**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	-	3	-	-
30		चंडीगढ़	130	-	-	128	-	-
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	1,342	-	-	2,325	470	270
32		दिल्ली	2,669	-	-	2,669	-	-

33		जम्मू और कश्मीर	266	3,677	1,272	6,622	3,626	9,127
34		लद्दाख	3	-	-	106	139	89
35		पुदुचेरी	457	1,810	446	2,032	1,270	1,628
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			**4,868**	**5,487**	**1,718**	**13,885**	**5,505**	**11,114**
कुल योग			**9,21,284**	**3,86,057**	**3,51,927**	**15,42,386**	**8,87,669**	**10,33,025**

* इसमें इस वर्ष में पूरे किए गए वे आवास शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया था।

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3141 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक--II

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 **के तहत ओडिशा राज्य में इसकी शुरूआत के बाद से स्वीकृत**, **निर्माणाधीन**, **पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों और जारी केंद्रीय सहायता का विवरण**

क्र.सं.	**विवरण**	**उपलब्धि**
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	**2,23,951**
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	**1,87,836**
3	पूर्ण/सौंपे गए आवास (संख्या)	**1,68,285**
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	**3,484.62**
5	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	**2,711.25**

*****